"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 जुलाई 2018 — श्रावण 6, शक 1940

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-03/आठ-परि./2018. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में और संशोधन करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 163-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**163-क. लोक सेवा यान में दरवाजे** - मोटर केब, मेक्सी केब, लोक सेवा यान, जो 136-160 इंच (3454-4064 मि. मी.) व्हील बेस अथवा कम या जहां बॉडी का निर्माण ऐसे वाहन निर्माता के द्वारा किया जाता है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 126 के अधीन अनुमोदित किया गया है, से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान में यात्रियों के प्रवेश एवं निकास के लिए दो दरवाजे होंगे."

No. F 5-03/VIII/Trans./2018. — In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the

said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

For rule 163-A, the following shall be substituted, namely :-

"**163-A. Doors in public service vehicle** - There shall be two doors for the entrance and exit of passengers in every public service vehicle other than Motor cab, maxi cab, public service vehicle having wheel base 136-160 inches (3454 - 4064 mm) or less or where the body is constructed by vehicle manufacturer which has been approved by the Central Government under rule 126 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.